

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संग्रहीत-माननीय-मंत्री-उमेर- 47/2017-18/
प्रेषक, 06 जून (१५) मत्स्य, रॉची, दिनांक 16.06.2021

अबुबकर सिद्दीख पीठ, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप

से परामर्शित

महालेखाकार

झारखण्ड, रॉची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में झास्कोफिश को अनुदान योजना का मो० 200.00 लाख (दो करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत “झास्कोफिश को अनुदान” एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत झारखण्ड राज्य में कार्यरत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंधन/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने/समिति के मछुआरे सदस्य को मत्स्य शिकारमाही का उचित मूल्य उपलब्ध कराने/मछलियों के विपणन में सहायता करने तथा मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यनिवृत्ति करने आदि कार्यों के लिए झास्कोफिश को अनुदान के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना से राज्य में सहकारिता के आधार पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि एवं मत्स्य पालकों के आय/आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें सहायता एवं मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी।

निबंधक सहयोग समितियों, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 1736 दिनांक 06.12.2008 द्वारा राज्य सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समिति के रूप में झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ (झास्कोफिश) [JHASCOFISH] (Jharkhand State Co-operative Fisheries Federation Ltd. Ranchi) का निबंधन कराया गया है जिसका निबंधन संख्या 17/HQR दिनांक 29.11.2008 है।

गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजनान्तर्गत कुल राशि मो० 10.00 (दस लाख) रूपये की स्वीकृति दी गई थी।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत बजट उपबंध मो० 200.00 लाख (दो करोड़) रु० मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2021.

1

102

-3-

9. मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य मत्स्य कृषकों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु झास्कोफिश द्वारा ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की जायेगी।
10. (क) राशि की निकासी एवं व्ययन के क्रम में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी स्थापित नियमों/ विहित प्रक्रियाओं का पालन किये जाने एवं स्वीकृत राशि का विचलन या दुर्विनियोग नहीं हो अन्यथा इसके लिये प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश जिम्मेवार होंगे।
- (ख) योजना का डुप्लीकेशन यानी सदृश्य कार्य के लिये दुसरे स्रोत से राशि प्राप्त होने पर तत्संबंधी सूचना अविलम्ब नियंत्री पदाधिकारी को देने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश का होगा।
11. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
12. मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दरों का निर्धारण कर राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
13. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा तथा वित्त विभाग द्वारा पी० एल० खाते की राशि के व्यय हेतु निर्धारित अवधि अथवा योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में की जायेगी।
14. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी०एस०२/आर०-०१/२००५-३०१ दिनांक 11.03.2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।
15. यह पूर्णतः राज्य योजना है तथा इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम राशि समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
16. वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना की स्वीकृति मो० 10.00 लाख (दस लाख) रु० मात्र पर प्राप्त थी तथा वास्तविक व्यय मो० 10.00 लाख (दस लाख) रु० का हुआ है। यह राशि वर्ष 2020-21 में इस योजना अंतर्गत निर्गत राज्यादेश सं०-२४ रा० (विभाग) दिनांक 24.11.2020 के आलोक में झास्कोफिश के पी० एल० खाते में जमा कर दी गई है।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है :-
 - I व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत हो।
 - II किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।
 - III स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
18. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साइट www.jharkhandfisheries.org पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

अबुबक्कर सिद्दिकी प्रौष्ठ
सरकार के सचिव


3/200

✓

06 राजा० (ठ)


ज्ञापांक /मत्स्य, रोंची, दिनांक 16.06.2021

प्रतिलिपि : कोणार पदाधिकारी, डोरंडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 सरकार के सचिव


ज्ञापांक 06 राजा० (ठ) दिनांक 16.06.2021

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रोंची/ प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, झारखण्ड, रोंची/ सभी उप मत्स्य निदेशक/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 सरकार के सचिव


ज्ञापांक 06 राजा० (ठ) दिनांक 16.06.2021

प्रतिलिपि : योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, रोंची / आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

 सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06 राजा० (ठ) दिनांक 16.06.2021

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रोंची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

 सरकार के सचिव

रोंची
राजा०